(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में, ऐसे विधि अधिकारी से, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, या ऐसे विधि अधिकारी की लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति से"।

———

(22078)

लौह-अयस्क खान और मैंगनीज-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 61)

[10 अप्रैल, 1976]

लौह-अयस्क खानों और मैंगनीज-अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लौह-अयस्क खान और मैंगनीज-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रथमतः किसी राज्य में केवल लौह-अयस्क खानों को या केवल मैंगनीज-अयस्क खानों को उस तारीख से लागू कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और यदि उस सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह इस अधिनियम का विस्तार उस राज्य में सभी लौह-अयस्क खानों और मैंगनीज-अयस्क खानों पर उस तारीख से कर सकेगी जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिकर्ता" और "स्वामी" के वही अर्थ हैं जो खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और (ठ) में हैं; 1952 का 35

(ख) "ठेकेदार" का वही अर्थ है जो ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में है; 1970 का 37

(ग) "कारखाना" और "अधिष्ठाता" के वही अर्थ हैं जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ङ) और (ट) में हैं ; 1948 का 63

(घ) "निधि" से धारा 3 के अधीन स्थापित लोह-अयस्क खान [1][और क्रोम-अयस्क खनि] [और, मैंगनीज-अयस्क खान श्रम कल्याण] निधि अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्रबन्धक" से खान अधिनियम, 1952 की धारा 17 में निर्दिष्ट प्रबन्धक अभिप्रेत है ; 1952 का 35

(च) "मैंगनीज-अयस्क" के अन्तर्गत फैरोजीनस मैंगनीज-अयस्क या फैरो-मैंगनीज-अयस्क भी है ;

(छ) "धातुकर्मीय कारखाना" से—

(i) ऐसा कारखाना अभिप्रेत है जिसमें लोह या इस्पात या मैंगनीज [2][या क्रोम] को प्रसंस्कृत या विनिर्मित किया जाता है ;

(ii) कोई अन्य ऐसा कारखाना अभिप्रेत है जिसमें लोह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [3][या क्रोम-अयस्क] का प्रयोग किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है और जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धातुकर्मीय कारखाने के रूप में घोषित करे ;

(ज) कोई व्यक्ति किसी लोह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [4][या क्रोम-अयस्क खान] में नियोजित कहा जाता है,—

(1) यदि वह ऐसी खान के परिसर के भीतर या उसके सामीप्य में ऐसी खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा या किसी ठेकेदार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक में अनन्यतः नियोजित किया जाता है, अर्थात् —

(i) कोई लोह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [5][या क्रोम अयस्क] खनन संक्रिया ;

(ii) ऐसी खान में या उसके आसपास प्रयोग की जाने वाली किसी मशीनरी या उसके किसी भाग का प्रचालन, सर्विस, अनुरक्षण या मरम्मत ;

(iii) लोह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [5][या क्रोम अयस्क] या लोह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क के खनन से सम्बद्ध किसी अन्य सामग्री का लादना, उतारना या प्रेषण ;

(iv) ऐसी खान की प्रसीमाओं के भीतर स्थित किसी कार्यालय, कैन्टीन, शिशुकक्ष में कोई काम;

(v) ऐसे परिसर के भीतर या सामीप्य में स्थित किसी ऐसे स्थान में जो ऐसा स्थान नहीं है जिस पर कोई निवासी भवन हो, कोई कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता या सफाई सेवाएँ या कोई पहरा और निगरानी कर्तव्य ; या

(2) यदि वह, किसी ऐसे क्षेत्र में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, ऐसी खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा या किसी ठेकेदार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा लोह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [5][या क्रोम-अयस्क] अथवा लोह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [5][या क्रोम-अयस्क] के खनन से सम्बद्ध किसी अन्य सामग्री के लादने, उतारने या प्रेषण में अनन्यतः नियोजित किया जाता है ;

(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

1 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4(ख) द्वारा (1-7-1983 से) अन्तःस्थापित।
2 [illegible]

लौह-अयस्क खान और मैंगनीज-अयस्क श्रम कल्याण निधि।

3. लौह-अयस्क खान और मैंगनीज-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :—

(क) ऐसी रकम जिसका केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, लौह-अयस्क खान और मैंगनीज-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 की धारा 5 के अधीन जमा किए गए सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क के आगमों में से, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित संग्रहण-खर्च को उनमें से काटने के पश्चात्, उपबन्ध करे ; 1976 का 55

(ख) इस अधिनियम के अधीन जमा की गई ऐसी रकम के जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट है, विनिधान से कोई आय और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त कोई अन्य धनराशियां।

निधि का उपयोजन।

4. निधि का उपयोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस व्यय को, जो ऐसे उपायों के सम्बन्ध में उपगत किया गया हो जो उस सरकार की राय में लौह-अयस्क खानों और मैंगनीज-अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों, चुकाने के लिए और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए किया जाएगा :—

(क) लौह-अयस्क खानों या मैंगनीज-अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए उन उपायों के खर्च चुकाना जो निम्नलिखित के लिए उद्दिष्ट हों :—

(i) लोक-स्वास्थ्य और स्वच्छता की व्यवस्था और सुधार, रोग का निवारण और चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार ;

(ii) जल-प्रदाय और नहाने-धोने की सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार ;

(iii) शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार ;

(iv) आवासन और आमोद-प्रमोद की सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार जिनके अन्तर्गत जीवन-यापन का स्तर, पोषण और सामाजिक दशाओं की बेहतरी भी है ;

(v) काम के स्थान पर आने और वहां से जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था ;

(ख) लौह-अयस्क खानों या मैंगनीज-अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम की सहायता के लिए किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या किसी लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान के स्वामी को उधार या सहायिकी का दिया जाना ;

(ग) लौह-अयस्क खानों या मैंगनीज-अयस्क खानों के ऐसे स्वामियों को, जो अपनी खानों में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए विहित स्तर-मान के कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को समाधान-प्रद रूप में करते हैं, वार्षिक सहायता अनुदान देना : किन्तु ऐसे स्वामियों को सहायता अनुदान के रूप में संदेय रकम, निम्नलिखित में से जो भी रकम कम हो, उससे अधिक नहीं होगी—

(i) कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था करने में उनके द्वारा व्यय की गई रकम जैसी वह केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके द्वारा

इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा अवधारित की जाए, या

(ii) ऐसी रकम जो विहित की जाए :

परन्तु यदि पूर्वोक्त रूप से अवधारित कल्याणकारी उपायों पर व्यय की गई रकम इस निमित्त विहित रकम से कम है तो किसी लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान[1][या क्रोम अयस्क खान] के स्वामी द्वारा व्यवस्था किए गए किन्हीं कल्याणकारी उपायों के सम्बन्ध में सहायता अनुदान संदेय नहीं होगा ;

(घ) क्रमशः धारा 5 और धारा 6 के अधीन गठित सलाहकार समितियों और केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के भत्ते, यदि कोई हों, और धारा 8 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों के वेतन और भत्ते यदि कोई हों, चुकाना ;

(ङ) कोई अन्य व्यय जिसका निधि में से चुकाया जाना केन्द्रीय सरकार निदिष्ट करे ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले उन मामलों पर, जो उस राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किए जाएं जिनके अन्तर्गत निधि के उपयोजन से सम्बद्ध मामले भी हैं, केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए,— सलाहकार समितियां ।

(क) ऐसे हर एक राज्य के लिए जिसमें लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [2][या क्रोम-अयस्क,] का उत्पादन किया जाता है, एक सलाहकार समिति गठित कर सकेगी, या

(ख) यदि किसी राज्य में ~~[लौह-अयस्क और मैंगनीज-अयस्क दोनों]~~ ऐसे अयस्कों में से किन्हीं दो या सभी अयस्कों का उत्पादन किया जाता है तो ऐसे राज्य के लिए ~~[केवल लौह-अयस्क या केवल मैंगनीज-अयस्क की बाबत या दोनों की बाबत]~~ जिनका एक सलाहकार समिति गठित कर सकेगी ।

(2) हर एक सलाहकार समिति में उतने व्यक्ति होंगे जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा उसमें नियुक्त किए जाएं, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी और वे सदस्य ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो विहित की जाए :

परन्तु हर एक सलाहकार समिति में सरकार, लौह-अयस्क खानों [और मैंगनीज-अयस्क खानों] [और क्रोम-अयस्क खानों] के स्वामियों तथा लौह-अयस्क खानों [और मैंगनीज-अयस्क खानों] में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर-बराबर होगी ।

(3) हर एक सलाहकार समिति का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार हर एक सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

6. (1) केन्द्रीय सरकार धारा 5 के अधीन गठित सलाहकार समितियों के काम को समन्वित करने के लिए और इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले किसी मामले पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित कर सकेगी । केन्द्रीय सलाहकार समिति ।

(2) केन्द्रीय सलाहकार समिति में उतने व्यक्ति होंगे जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी और वे सदस्य ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो विहित की जाए ।

1, 2 1982 के अधि॰ सं॰ 45 की धारा 6(क) (i) द्वारा (1-7-1983 से) अन्तःस्थापित।

ऐसे अपवादों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

10. केन्द्रीय सरकार हर एक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्, यथाशीघ्र पूर्वतन वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन वित्तपोषित अपने क्रियाकलापों का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट, एक लेखा-विवरण सहित, राजपत्र में प्रकाशित कराएगी । अधिनियम के अधीन वित्तपोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट ।

1[या क्रोम-अयस्क खान]

11. केन्द्रीय सरकार किसी धातुकर्मीय कारखाने के अधिष्ठाता से अथवा किसी लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान[1] के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, आंकड़ों की और अन्य जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर दे जो विहित की जाए । जानकारी मांगने की शक्ति ।

12. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

(क) वह रीति जिसमें निधि का उपयोजन धारा 4 में विनिर्दिष्ट उपायों के लिए किया जा सकेगा,

(ख) धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन उधार या सहायिकी के लिए आवेदन को शासित करने वाली शर्तें ;

(ग) उन कल्याणकारी उपायों का स्तरमान जिनकी धारा 4 के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए लौह-अयस्क खानों या मैंगनीज-अयस्क खानों[2] के स्वामियों द्वारा व्यवस्था की जाती है ;

2[या क्रोम-अयस्क खानें]

(घ) धारा 4 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) में और उस खण्ड के परन्तुक में निर्दिष्ट रकम का अवधारण ;

(ङ) क्रमशः धारा 5 और धारा 6 के अधीन गठित सलाहकार समितियों और केन्द्रीय सलाहकार समिति की संरचना, वह रीति जिसमें उनके सदस्य चुने जाएंगे, ऐसे सदस्यों की पदावधि, उन व्यक्तियों को जिनके अन्तर्गत सहयोजित सदस्य और आमन्त्रित व्यक्ति भी हैं, संदेय भत्ते, यदि कोई हो, और वह रीति जिसमें उक्त सलाहकार समितियां और केन्द्रीय सलाहकार समिति अपने कारबार का संचालन करेंगी ;

(च) धारा 8 के अधीन नियुक्त सभी व्यक्तियों की भर्ती, सेवा की शर्तें और कर्तव्य ;

(छ) वे शक्तियां जिनका किसी कल्याण आयुक्त, कल्याण प्रशासक या निरीक्षक द्वारा धारा 8 के अधीन प्रयोग किया जा सकेगा ;

(ज) केन्द्रीय सरकार को धातुकर्मीय कारखानों के अधिष्ठाताओं और लौह-अयस्क खानों या मैंगनीज-अयस्क खानों[3] के स्वामियों, अभिकर्ताओं या प्रबन्धकों द्वारा आंकड़ों की और ऐसी अन्य जानकारी का दिया जाना जिसके दिए जाने की धारा 11 के अधीन उस सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए ;

3[या क्रोम-अयस्क खानें]

1 1982 के अधिनियम ...